



सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE, कोचिन COCHIN

Tel: 0484-2668068/2668390. PBX:0484-2666861 to 6864. Fax: 0484-2668468.

परिपत्र CIRCULAR. No. 02 / 2016

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति - दिनांक 29.03.2016 को आयोजित 122वीं बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the 122nd meeting held on 29.03.2016 – Reg.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 122वीं बैठक दिनांक 29.03.2016 को 16:00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन.राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 122nd meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 1600 hrs on 29.03.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. Anilkumar S, Addl. Commissioner
2. S. Srimathi, Dy. Commissioner
3. Sanjay Bangartale, Asst. Commissioner
4. Jimmi Joseph, Asst. Commissioner
5. Debashish Paul, Asst. Commissioner
6. Jathin K A, Asst. Commissioner
7. Prameela Rose, Asst. Commissioner
8. Bhuvanachandran, Scientist 'D', NIC
9. Prasanth K C S., Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Raj Vinod, Cochin Port Trust
2. K. Suresh Babu, CFS, CPT
3. P. P. Rajendran, CFS, Falcon, Kalamassery
4. V.Veera Raghav, CFS, GDKL
5. Anvar Sadath, CI-CFS, KSIE
6. M. B. Nandakumar, Cochin Custom House Agents Association
7. Paul Abrao, Cochin Custom House Agents Association
8. Soji Thomas, Cochin Steamer Agents Association
9. Prakash Iyer, Cochin Steamer Agents Association
10. S. Ramakrishnan, Sea Food Exporters Association of India
11. N. N. Menon, EPC for EOU and SEZ Units
12. Abraham Philip, President, Cochin Custom House Agents Association
13. Deepak Kumar Shetty, Kerala Chamber of Commerce

14. Rajeev M C, Federation of Indian Export Organisations
15. Dr. Jestu George, FSSAI, Cochin
16. Clinton Chowellor, Cochin Steamer Agents Association
17. Prakash Iyer, Cochin Steamer Agents Association

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया और उसके बाद नए मुद्दे उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon were taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के मुद्दों पर की गई कार्रवाई

Action on Points taken up in the previous meeting.

बिंदु 1. दस्तावेजों को फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर (पिछली बैठक का बिंदु.2)

Point No. 1- Digital signature for filing of documents (Point 2. In previous meeting)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि दस्तावेजों को दायर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर में परिवर्तित होने की अवधि मार्च तक बढ़ाई गई थी और सभी सदस्यों से इस सुविधा का उपयोग करने का अनुरोध किया।

The chair informed that extension was given till March to switch over to digital signature for filing of documents and requested all the members to start using this facility.

बिंदु सं.2 - बेगेज की निकासी (निजी सामान) - यात्रियों द्वारा स्वयं निकासी (पिछली बैठक का बिंदु सं.5)

Point No. 2 - Clearance of Baggage (personal effects) - Self clearance by passengers. (Pt No: 5 in the previous meeting)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि आईसीईएस में ऑनलाइन बनायी गई बेगेज निकासी प्रक्रिया कुछ छोटी खराबियों के बावजूद सही काम कर रही है जिन्हें जल्द ही ठीक किया जाएगा।

The chair informed that the Baggage clearance process that was made online in ICES was working well even though there are some minor glitches which shall be rectified at the earliest

बिंदु सं:3 - प्राकृतिक रबड़ का आयात - लगाए गए प्रतिबंध- (पिछली बैठक का बिंदु सं.8)

Point No: 3 – Import of Natural rubber- restrictions imposed. –(Pt No: 8 in the previous meeting)

अध्यक्ष महोदय ने चेन्नई और जेएनसीएस, नावा शेवा के अलावा अन्य बंदरगाहों के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ के आयात की स्थिति के बारे में पूछा।

The chair enquired about the position regarding restriction of import of natural rubber through ports other than Chennai and JNCH, Nhava Sheva.

ईओयू एवं एसईजेड इकाइयों के लिए ईपीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री एन.एन. मेनन ने कहा कि इस संबंध में यथास्थिति बनी हुई है।

Shri. N. N. Menon, representing EPC for EOU and SEZ Units informed that status quo prevailed.

बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दे

Points raised during the meeting

बिंदु 4. सिंगल विंडो प्रोजेक्ट - एकीकृत घोषणा

Point 4. Single window Project – Integrated Declaration

"व्यापार करने में आसानी - सिंगल विंडो " की शुरुआत के बारे में श्री भुवनचंद्रन, वैज्ञानिक, एन.आई.सी. ने दिनांक 01.04.2016 से शुरू किए गए सिंगल विंडो निकासी तंत्र की सभी विशेषताओं को शामिल करते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

On the introduction of "Ease of doing business – Single window" Shri. Bhuvanachandran, Scientist, NIC gave a power point presentation covering various aspects and features of single window clearance mechanism being introduced with effect from 01.04.2016.

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस संबंध में सीबीईसी परिपत्र 10/2016- CUS के क्रम में सार्वजनिक सूचना सं. 03/2016 जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो स्कीम के फायदों में व्यापार करने में आसानी, लागत में कमी, परिवर्द्धित पारदर्शिता, नकल और अनुपालन की लागत में कमी तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग शामिल हैं। भाग लेने वाले सभी सरकारी एजेंसियों जैसे पशु संगरोध, वनस्पति संगरोध, भेषज नियंत्रक एवं एफएसएसएआई की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो एकिसम व्यापार को एक समान मंच प्रदान करता है। अध्यक्ष महोदय ने सिंगल विंडो प्रोजेक्ट कार्यान्वित होने के एक हफ्ते के बाद व्यापार जगत को इसके बारे में और प्रशिक्षण देने का भी आश्वास दिया।

Chair stated that Public Notice No. 03/2016 has been issued in this regard in continuation to CBEC Circular 10/2016-CUS. He said that the benefits of Single Window Scheme include ease of doing business, reduced costs, enhanced transparency, reduced duplicity and cost of compliance and optimal utilisation of resources. Single Window provides a common platform to EXIM trade to meet requirements of all participating government agencies such as Animal Quarantine, Plant Quarantine, Drug Controller and FSSAI. The chair also assured to impart further training to the trade, one week after implementation of single window project.

बिंदु सं. 5 - टर्मिनल पर निःशुल्क अवधि (कोचिन सीमाशुल्क गृह एजेंट एसोसिएशन द्वारा उठाया गया मुद्दा)

Point No. 5 – Free period at the terminal (Point raised by the Cochin Custom House Agents' Association)

सीएचए ने सूचित किया कि ऐसे कई बार हुआ है कि व्यापार जगत हो टर्मिनल पर 5 दिनों की निःशुल्क अवधि का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि कंटेनरों को टर्मिनल पर पहुंचने के तुरंत बाद सीएफएस में ले जाया जाता है। उन्होंने अनुरोध कि आयातकों/सीएसएस को टर्मिनल पर 5 दिनों की निःशुल्क अवधि का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

The CHAA informed that there are many instances where the Trade is not allowed to utilize the free period of 5 days at the Terminal as the containers are moved to CFS soon after the landing at the terminal. They requested that the Importers/CHS's should be allowed to utilize the free period of 5 days permitted at the Terminal."

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि विशेष मामले, यदि कोई हों, तो प्राधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं, क्योंकि कायदे से अगर आयातकों या सीमाशुल्क ब्रोकरों द्वारा जल्दी किए जाने का अनुरोध नहीं किया

जाता है, तो सीएफएस को निःशुल्क अवधि सूरी होने के तुरंत बाद कंटेनरों को टर्मिनल से सीएफएस में ले जाना चाहिए।

The chair informed that specific instances, if any, should be brought to the notice of the authorities, as ideally CFS should move containers from terminal to CFS immediately on completion of free period, unless requested to do so earlier by importers or custom brokers.

बिंदु सं. 6 - सुपारी - अफलाटोक्सिन की मौजूदगी

Point No. 6 - Betel Nut- Presence of aflatoxin

एफएसएसएआई अधिकारी ने सूचित किया कि सुपारियों में काफी बड़ी मात्रा में (800-900 मि.ग्रा./कि.ग्रा.) अफलाटोक्सिन मौजूद है और सीमाशुल्क इसको अनिवार्य रूप से नष्ट किए जाने की सिफारिश करें।

The FSSAI official informed that very high level of aflatoxin (up to 800-900mg/Kg) are present in Betel Nuts and said that customs may recommend mandatory destruction of the same.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा।

The chair said the same shall be considered.

बिंदु सं. 7 - स्टीमर एजेंटों को सूचित किए बिना एजेंटों द्वारा कारगो की निकासी

Point No. 7 - Clearance cargo by agents without informing steamer agents

श्री सोजी तोमस ने सूचित किया कि सीएचए सब-मैनिफेस्ट की सब-लाइन सीधे फाइल कर रही है और उन्होंने यह जानना चाहा कि सब-मैनिफेस्ट की सब-लाइन फाइल करने से पहले क्या सीमाशुल्क स्टीमर एजेंटों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर जोर दे सकता है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि आयातकों ने मुकदमा किया और एक ऐसे मामले में अपने पक्ष में आदेश प्राप्त किया जिसमें नौवहन लाइन प्रतिवादी नहीं थे। चूंकि नौवहन लाइन प्रतिवादी नहीं थे इसलिए उन्हें माननीय अदालत के सामने अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला जिससे लाइन द्वारा डेलिवरी आदेश जारी करने से पहले सामान की निकासी करने का निर्देश पारित हो गया।

Shri. Soji Thomas informed that the forwarders are directly filing sub-line of sub-manifest and asked if customs can insist on NOC from steamer agents before filing said sub-line of sub-manifest. He further informed that the importers went to court and got an order in their favour in a case where the shipping line was not a respondent. As the shipping line was not a respondent they could not present their points before the honorable court which led to a direction to release good without line issuing a delivery order.

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र पर जोर दिया जाना संभव नहीं है और कहा कि लाइन को यह मामला गंभीरता से लेना चाहिए तथा उन्हें अपील कर के इस आदेश को परिवर्तित करवाना या रद्द करवाना चाहिए।

The chair replied that it is not possible to insist on NOC and said that the line should take up the matter seriously and they should go on appeal and get the order changed or revoked.

श्री प्रकाश अय्यर ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि कन्सोल कारगो के संबंध में लाइन को शामिल नहीं किया जाता और नौवहन लाइन को सूचित किए बिना ही कन्सोल एजेंट आईजीएम में संशोधन करते हैं।

Shri. Prakash Iyer informed the chair that in case of console cargo also the line is not involved and the console agents amend IGM without informing shipping line.

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि कन्सोल एजेंट को सब-मैनिफैस्ट सीधे फाइल करने की सुविधा व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने के लिए प्रदान की गई है। नौवहन कंपनियों को उनके द्वारा झेली जा रही परेशानियों को सीबीईसी के समक्ष राष्ट्रीय स्तर पर उठानी चाहिए।

The chair replied that providing facility to console agent to file sub-manifest directly was done improve ease of doing business. Shipping companies should consider taking up the difficulties faced by them at national level before CBEC.

बिंदु सं. 8 - एफएसएसएआई के पास उपलब्ध आगमन पूर्व दस्तावेज समीक्षा प्रणाली की सुविधा

Point No. 8 - Facility of Prior Arrival Document Review System available with FSSAI

एफएसएसएआई अधिकारी ने कहा कि उनके पास पीएडीआरएस सुविधा उपलब्ध है जिसके तहत आयातक सामान के आने से पहले दस्तावेजों की प्रोसेसिंग शुरू कर सकता है और बाद में आगम पत्र तैयार किए जाने पर, आयातक इसे अपने प्रोसेस किए हुए दस्तावेजों के साथ मिला सकता है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि केवल एक एजेंसी इसका उपयोग कर रही है।

The FSSAI official stated that they have the facility of PADRS wherein the importer can start processing the documents before arrival of the goods and later once the Bill of Entry is generated, the importer can integrate it with this processed documents. He also informed that only one agency is using it.

अध्यक्ष महोदय ने सीएचए एसोसिएशन से कहा कि वे एफएसएसएआई के साथ एक बैठक आयोजित करें ताकि सीएचए को इस सुविधा के बारे में जानकारी मिल सके।

The chair asked the CHA association to arrange a sitting with FSSAI to bring awareness among CHAs about the facility.

[कार्रवाई : सीएचए एसोसिएशन]

[Action: CHA Association]

बिंदु सं. 9 - जहाज के मास्टर को दी गई भारतीय मुद्रा के मूल्यवर्ग पर प्रतिबंध को हटाया जाना।

Point No. 9 – Withdrawal of restriction on denomination of Indian currency given to master of vessel

श्री क्लिंटन चोवेल्लर ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने जहाज के मास्ट को दी गई भारतीय मुद्रा के मूल्यवर्ग पर प्रतिबंध को हटाया दिया है और अनुरोध किया कि सीमाशुल्क गृह में भी इसे कार्यान्वित किया जाए।

Shri. Clinton Chowellor informed the chair that RBI has recently lifted the restriction on denomination of Indian currency given to master of a vessel and requested that the same may be implemented in this Custom House also.

अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए संबंधित अनुभाग को आवश्यक निदेश दिए जाएं।

The chair replied that necessary directions shall given to the concerned section for issuing a public notice in this regard

[कार्रवाई: सहायक आयुक्त (निवारक)]

[Action: AC (Preventive)]

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए 1700 बजे बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed at 1700 hrs. after thanking the participants.

स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II

तारीख Dated: 19.04.2016

//Attested//



(R. LATHA)

Superintendent (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax , Kerala Zone, Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit .

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members